महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ऑ. – जवासिया, उज्जैन – 456006 (म.प्र.)
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
(Ministry of Education, Govt. of India)
Ved Vidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasia, Ujjain – 456006 (M.P.)

प.सं.17-3/2019(प्र.वि)/मसारावेविप्र/

दिनांक : 11-1-2024

कार्यालय आदेश – 1336

प्रतिष्ठान से अनुदानित वेदपाठशालाओं / इकाइयों में सेवारत अध्यापकों की विद्यालय में अनुपस्थिति के सम्बन्ध में ।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन से अनुदानित देशभर में संचालित वेदपाठशालाओं / गुरू-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापकों को मानदेय एवं छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान मासिक आधार पर वेदपाठशालाओं / इकाइयों में अध्यापकों एवं छात्रों की मासिक उपस्थिति प्रतिवेदन एवं ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से साक्षात उपस्थिति की जांच के उपरांत किया जाता है ।

अधोहस्ताक्षरित के संज्ञान में आया है, कि देश के अलग-अलग राज्यों की कई वेदपाठशालाओं / इकाइयों - विशेषत: कुछ राज्य की कुछ वेदपाठशालाओं/ इकाइयों में अध्यापकों की निरन्तर अनुपस्थिति पाई जा रही है । कुछ अध्यापक हमेशा वीडियो कॉल के दौरान वेदपाठशाला / इकाई में अनुपस्थित पाए गए हैं, बाहर ही रहते हैं ।

वेदपाठशाला / इकाइयों में वेदाध्ययनरत छात्रों की देखभाल एवं सुरक्षा का शत-प्रतिशत दायित्व वेदपाठशाला प्रबंधन/ वेद एवं आधुनिक विषय अध्यापक /गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक का है । छात्रों को बिना किसी सुरक्षा के छोड़कर अपने कार्य हेतु अध्यापकों का विद्यालय / इकाई में अनुपस्थित रहना बाल संरक्षण अधिनियम एवं प्रतिष्ठान के दिशा-निर्देशों के विरूद्ध है ।

प्रतिष्ठान द्वारा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृत बजट के अन्तर्गत वेदपाठशालाओं / इकाइयों में अध्यापकों को मानदेय एवं छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । भारत सरकार द्वारा देश में वेदविद्या के प्रचार प्रसार हेतु वेद विद्यालयों में मानदेय आधारित व्यवस्था के रूप में अध्यापकों को मानदेय जारी करने हेतु प्रतिष्ठान को बजट स्वीकृत किया जाता है । **वेद एवं आधुनिक विषय अध्यापकों की वेदपाठशालाओं/इकाइयों में सेवाएं पूर्णत: तात्कालिक अस्थाई रूप से मानदेय आधारित व्यवस्था है । यह कोई स्थाई नौकरी नहीं हैं ।**

समस्त वेदपाठशाला प्रबंधकों / वेद एवं आधुनिक विषय अध्यापकों/ गुरू-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापकों को स्पष्ट किया जाता है, कि प्रतिष्ठान द्वारा छात्रों के लिए जारी किए जाने वाली रखरखाव छात्रवृत्ति का शत-प्रतिशत छात्रहित में सदुपयोग करें । वेदपाठशाला / इकाइयों में छात्रों के भोजन, आवास, चिकित्सा एवं सुरक्षा सर्वोच्च है ।

वेदपाठशाला में सेवारत अध्यापक अत्यावश्यक कार्य होने पर पाठशाला प्रबंधन से लिखित स्वीकृति उपरांत ही अवकाश लें । गुरू-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक भी अत्यावश्यक कार्य होने पर इकाई में उपस्थित छात्रों की रखरखाव एवं सुरक्षा की समुचित व्यवस्था कर ही इकाई से बाहर जाएं ।

प्रतिष्ठान द्वारा वेदपाठशाला / इकाई का औचक निरीक्षण किए जाने पर / वीडियो कॉल के दौरान पाठशाला / इकाई में उचित कारण न होने पर अध्यापकों की अनुपस्थिति पाए जाने अध्यापक का मानदेय एवं पाठशाला / इकाई का अनुदान बाधित कर प्रतिष्ठान नियमावली अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

11.1.2024

(प्रो. विरूपाक्ष वि.जड्डीपाल)
सचिव

प्रतिलिपि : (1) समस्त वेदपाठशाला प्रबंधकों / अध्यापकों / गुरू-शिष्य इकाई अध्यापकों को सूचनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशित एवं ईमेल से सूचनार्थ ।

(2) कार्यालय आदेश पत्रावली

Tele : 0734-2502266, 2502254, 2502255 Fax : 0734-2502266
E-mail :msrvvpujn@gmail.com Website : msrvvp.ac.in